



माननीय न्यायालय मध्यप्रदेश राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

/2015 निगरानी

निगरानी 2008-II-15

श्री दिनेश प्रकाश कृमांक
द्वारा आज दि. 20-6-15 को
प्रस्तुत
रजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

रजस्व मण्डल
20/6/15

ओमप्रकाश पिता श्री बाबुलाल खंडेलवाल आयु-61
वर्ष, व्यवसाय-व्यापार, जाति खंडेलवाल, कृषक ग्राम
ढाबला रेहवारी, तहसीलय व जिला उज्जैन म.प्र.
निवासी उज्जैनआवेदक/निगरानीकर्ता

विरुद्ध

1. शान्तिलाल पिता त्रिलोक, आयु-50 वर्ष,
2. गीताबाई पति स्व. श्री गिरधर, आयु-55 वर्ष
3. रामकन्या बाई पति श्री शान्तिलाल, आयु-45 वर्ष,
4. मायाराम पिता त्रिलोक, आयु-45 वर्ष,
5. कालु पिता त्रिलोक, आयु-40 वर्ष,
6. इन्दरबाई पति सेवाराम, आयु-40 वर्ष
7. सेवाराम पिता त्रिलोक, आयु-50 वर्ष

समस्त धंधा-कृषि, निवासीगण-ग्राम ढाबला रेहवारी,
तहसील व जिला उज्जैन म.प्र.अनावेदकगण

माननीय न्यायालय नायब तहसीलदार महोदय, तहसील व जिला उज्जैन
के प्रकरण क्र. 1/अ-13/14-15 में पारित आदेश दिनांक
23/06/2015 से असंतुष्ट एवम् दुखी होकर मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता
की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत है :-

प्रकरण के तथ्य

यह कि, अनावेदकगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार
महोदय, तहसील व जिला उज्जैन के समक्ष म.प्र. भू-राजस्व संहिता की
धारा 131 के तहत ग्राम ढाबला रेहवारी तहसील व जिला उज्जैन स्थित
सर्वे क्रमांक 126, 127/2, 125, 124/1, 124/2, 123, 122,
121 आदि पर मुख्य सड़क से आने जाने का मार्ग खुलवाये जाने हेतु
आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया।

R 2008-11-15-

22.9.15

आवेदक की कोर्ट से
शुपना उपशान्त कोर्ट उपस्थित
नहीं। समय समय पर-लीचण।
आपका आवाज नहीं। कोर्ट उपस्थित
नहीं। आवेदक की अनुपस्थिति से
आपका उपशान्त कंडम परी में
आपका डिमा लागू नहीं।

अधीन-

